


समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं अतः तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— :: आदेश :: —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी मगनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नं. 231 रकबा 9.01 बीघा व खसरा नंबर 232/10 रकबा 22 बीघा पूरा रखा गया है।
2. वादी मेघराज के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 260 रकबा 5.12 बीघा पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल